

क्रमांक:- आर.एन.सी./2024/जीबी/7181-7186

दिनांक:- 22-11-2024

कार्यालय आदेश

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल की जीबी की बैठक दिनांक 21.10.2024 के एजेन्डा संख्या 3 के अन्तर्गत फोरेन वेरिफिकेशन के संबंध में निम्न निर्णय लिए गये हैं:-

1. अभ्यर्थी से 100/- रु के शपथ-पत्र के स्थान पर स्व:घोषणा पत्र लिया जायेगा।
2. चरित्र प्रमाण-पत्र अधिकतम छः माह तक का ही मान्य होगा।
3. फोरेन वेरिफिकेशन के स्थान पर गुड स्टैंडिंग जारी किया जायेगा जिसका शुल्क पूर्व में निर्धारित फोरेन वेरिफिकेशन शुल्क (सामान्य 10000/-रुपये+जीएसटी तत्काल 20000+जीएसटी) लिया जावेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित पर तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते हैं।

(भारती)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांक:- आर.एन.सी./2024/जीबी/7181-7186

दिनांक:- 22-11-2024

प्रतिलिपी :-

1. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, (ग्रुप-3), जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रीमान निदेशक (अराजपत्रित), निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
3. श्रीमान निदेशक महोदय (जन. स्वा.) एवं पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
4. आई.टी. सलाहकार को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करे।
5. कार्यालय प्रति।

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर